Avadh Law College
Barabanki

The Indian Evidence Act 1872

Syllabus(unit-3rd)

Expert witness,
who is an expert ?
Types of expert witness
Opinion on relationship especially proof of marriage
The problem of judicial defence to expert testimony
General principles concerning oral evidence
General principles concerning documentary evidence

Pankaj Katiyar
Assistant professor
Avadh Law College
Barabanki

Expert witness

Who is expert ? (विशेषज्ञ कौन है)

साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजन के लिए विशेषज्ञ उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने किसी विज्ञान, कला ,व्यापार ,या व्यवसाय में विशेष ज्ञान कुशलता या अनुभव प्राप्त किया है यह ज्ञान अभ्यास अवलोकन या सावधानीपूर्वक अध्ययन से प्राप्त किया गया हो सकता है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में विशेषज्ञ शब्द को विशेष कुशल व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है आमतौर से जिस व्यक्ति ने किसी विषय की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त कर लिया है इस परिभाषा के अंतर्गत आता है चाहे उसने इसका कभी अभ्यास नहीं किया है किंतु फिर भी इस शब्द का अभिप्राय किसी विषय में कुछ ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव दोनों से है

श्री चंद्र बत्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1974

के बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारणा किया कि इस धारा में प्रयुक्त विशेषण शब्द को सामान अर्थ में लेना चाहिए आबकारी इंस्पेक्टर जिसने सैंपल्स के परीक्षण का काम 21 वर्षों से किया है इस धारा के अंतर्गत विशेषज्ञ माना जाएगा।

अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ मैसूर 1972

के बाद में मैसूर उच्च न्यायालय ने आधारित किया कि साक्षी को विशेषण होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके पास कोई उपाधि हो सोने की शुद्धता के प्रश्न पर एक साधारण सुनार की राय ग्रह की गई यदि आप उसके पास पुराने अनुभव को छोड़कर कोई अन्य उपाधि उस विषय पर नहीं थी।

सामान्य नियम यह है कि राय ग्राहा नहीं होती है गवाहों का कार्य न्यायालय के समक्ष स्वयं द्वारा देखे गए तथ्यों को रखना है और राय बनाना न्यायालय का कार्य है परंतु कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिन पर न्यायालय सही राय नहीं बना सकता अर्थात जिसमें विशिष्ट ज्ञान या अनुभव की आवश्यकता हो तो ऐसे मामलों में राय सुसंगत हो सकती है धारा 45-51 सामान्य नियम के अपवाद है कि अन्य व्यक्तियों की रायें साक्ष्य में नहीं ग्राहा होती हैं।

धारा 45 -विशेषज्ञों की राय (expert opinion)

जबकि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्त लेख या अंगुलि चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुलिचिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष व्यक्तियों की रायें सुसंगत तथ्य हैं। ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं।

साक्ष्य विधि का यह एक सामान्य नियम है कि कोई भी व्यक्ति साक्षी के रूप में न्यायालय में किसी तथ्य के बारे में सिर्फ वही बात कह सकता है जिसके बारे में वह स्वयं कुछ जानकारी रखता है मात्र उसकी राय अथवा विश्वास को ग्राहा नहीं किया जाता ।लेकिन इस अधिनियम की धारा 45 से 51 तक में उपबंधित प्रावधान इस सामान नियम के अपवाद हैं।

धारा 45 से निर्धारित करती है कि जब न्यायालय को निम्नलिखित चीजों के बारे में राय बनानी हो-

1-विदेशी विधि या
2-विज्ञान या
3-कला के विषय पर या
4-हस्त लेख या
5-अंगुलि चिन्हों की अनन्यता के विषय में

तो इन मामलों पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है

1-विदेशी विधि-

जब न्यायालय को किसी विदेशी राष्ट्र की विधि के विषय में राय बनानी होती है तो उस विधि के विशेषज्ञ को न्यायालय के समक्ष यह बताने के लिए बुलाया जाता है कि किसी विशिष्ट विषय पर किसी विदेशी राष्ट्र की क्या विधि है।

2-विज्ञान या कला-

जब न्यायालय को कला या विज्ञान के विषय पर राय बनानी होती है तो उस विषय पर कल आया विज्ञान में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है। चिकित्सकीय साक्ष्य (medical evidence) विज्ञान के अंतर्गत आते हैं।

3-हस्तलेख(handwriting)-

जब न्यायालय को लिखावट के विषय में राय बनानी है तो विशेषज्ञ की राय ग्राहा होती है न्यायालय किसी हौसले के बारे में कोई राय या तो-

(i)- किसी हस्त लेख विशेषज्ञ की राय पर धारा 45 या
(ii)- उस हस्त लेख से परिचित किसी व्यक्ति की राय पर धारा 47 या
(iii)-. स्वयं के द्वारा तुलना करके निर्मित कर सकता है। धारा 73

3- अंगुलि चिन्हों (finger impressions)-

आपराधिक अनुसंधान का अंगुलि चिन्हों की पहचान एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है अंगुलि चिन्हों की पहचान सुनिश्चित रूप से पूर्ण पहचान होती है यह कहा जाता है कि यद्यपि मानव शरीर जन्म से मृत्यु पर्यंत नित्य प्रत्येक रूप में परिवर्तित होता रहता है किंतु अंगुलियों के निशान कभी परिवर्तित नहीं होते।

विशेषज्ञ की राय का सबूत-

विशेषज्ञ की राय तब तक साथ में नहीं ली जाएगी जब तक कि उसकी गवाह के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षा नहीं होती और उससे प्रति परीक्षा नहीं की जाती।

विशेषज्ञ के साक्ष्य का मूल्य (value of experts evidence)-

विशेषज्ञों की राय हो कि सुसंगत तथा उसका मूल्यदो भिन्न प्रश्न है अधिनियम में केवल सुसंगत के बारे में बताया गया है मूल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है मूल्य कई बातों को ध्यान में रखते हुए देखना पड़ता है एक तो यह है कि विशेषज्ञ से गलती भी हो सकती है तथा वह जानबूझकर झूठ बोल सकता है विशेषज्ञ का साक्ष्य आमतौर पर कम मूल्यवान समझा जाता है अर्थात उसे कमजोर साक्ष समझा जाता है क्योंकि जिस पक्ष की ओर से उसको बुलाया गया है वह उनका पक्ष ले सकता है अतः विशेषज्ञ का साक्ष्य पर्याप्त सावधानी से प्रयोग करना चाहिए विशेषज्ञ की राय न्यायाधीश पर बंधन कारी नहीं है न्यायालय से विशेषज्ञ की राय पर विश्वास करने से इंकार कर सकता है जोरा एक किसी तर्क पर आधारित हो एसएसआर भूत साक्ष्य के रूप में ग्राहा नहीं किया जा सकता।

मुरारीलाल बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश
के

बाद में न्यायमूर्ति चिन्नापा रेड्डी ने कहा कि विशेषज्ञ से अपराधी नहीं होता और इसलिए उसकी पर साक्ष्य को इतना कमजोर नहीं समझा जा सकता जितना कि सह अपराधी के साक्ष्य को।

धारा 46 विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य-(facts relating to experts opinion)

वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की राय ओं का समर्थन करते हो या उनसे असंगत हो जबकि ऐसी रायें सुसंगत हो।

दृष्टांत-

(a)

(b)

धारा 46 धारा 45 के उपबन्धो की अनुपूरक है धारा 46 से स्पष्ट है कि विशेषज्ञों की राय का समर्थन या खंडन किया जा सकता है इस धारा के अनुसार कोई तथ्य सुसंगत नहीं है इस बात के अंतर्गत सुसंगत होगा यदि वे विशेषज्ञ की राय का समर्थन या खंडन करता है यह धारा इस नियम का अपवाद है कि अनुसमर्थक(collateral) तथ्यों को साक्ष्य में नहीं दिया जा सकता।

आचरण द्वारा नातेदारी के बारे में राय

धारा 50-: नातेदारी के बारे में राय कब से सुसंगत है-

जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन है सुसंगत तथ्य है।

परंतु भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अधीन कार्रवाईयों में या भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 494, 495, 497 या 498 के अधीन आभियोजनों में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

दृष्टांत:-

(क) प्रश्न यह है कि क्या क और ख विवाहित थे? यह तथ्य कि वे अपने मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्राया स्वीकृत किए जाते थे और उनसे वैसा बर्ताव किया जाता था सुसंगत है।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क, ख का धर्मज पुत्र है?

यह तथ्य की कुटुंब के सदस्यों द्वारा क से सदा उस रूप में बर्ताव किया जाता था सुसंगत है।

धारा 32 (5) और (6) के अधीन मृतक व्यक्ति का बयान जिसके पास नातेदारी की जानकारी का विशेष साधन रहा हो नातेदारी साबित करने से संबंधित है जब की धारा 50 के अंतर्गत ऐसी नातेदारी के संबंध में जीवित व्यक्ति की राय को सुसंगत माना गया है जिस व्यक्ति के पास ज्ञान के विशेष साधन है उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होता है और वह धारा 50 के अंतर्गत बयान देता है।

इस धारा के अंतर्गत साक्ष्य को ग्राहा होने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक है-

1-साक्षी को यह दिखाना होगा कि उसके पास नातेदारी के बारे में ज्ञान के विशेष साधन है

2-उसे न्यायालय के समक्ष उन व्यक्तियों का आचरण भी रखना चाहिए जिनके नातेदारी के बारे में वह बयान देता है आचरण इस प्रकृति का होना चाहिए जो नातेदारी को व्यक्त करें।

इस धारा के दृष्टांत (1) से स्पष्ट है कि आचरण उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसकी नातेदारी सिद्ध करना है जबकि दृष्टांत (2) से स्पष्ट है कि आचरण गवाह का भी हो सकता है।

धारा 51-: राय के आधार कब सुसंगत है-

जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित है सुसंगत है।

दृष्टांत कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनाथ किए हुए प्रयोगों का विवरण दे सकता है।

किसी मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य निश्चयात्मक होता है विशेषज्ञ का साक्ष्य केवल एक राय है जो प्रत्यक्ष साक्ष्य की संपुष्टि कर सकता है चिकित्सकीय साक्ष्य स्वंम अभियोजन के केस को साबित नहीं करता इसका मूल्य केवल संपोषक है यह साबित कर सकता है कि कथित रुप से चोटें पहुंचाई जा सकती है या नहीं पहुंचाई जा सकती हैं और चोटों द्वारा मृत्यु कारित की जा सकती है या नहीं न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला के अनुसार डॉक्टर जो शव परीक्षा करता है वह तथ्य का गवाह है उदाहरण के लिए शरीर पर पाए गए गोदना के चिन्ह से विशेषज्ञ बता सकता है कि उस दूरी को जहां से गोली मारी गई और घाव की गहराई और आकार से वह इस्तेमाल किए गए हथियार के प्रकार को बता सकता है और उस बल प्रयोग को बता सकता है जो लगाया गया है।

Oral evidence (मौखिक साक्ष्य)

मौखिक साक्ष ऐसा साक्ष्य है जो साक्षी न्यायालय के समक्ष मुंह द्वारा बोले हुए शब्दों से देता है।

कोई भी तथ्य तो मौखिक साथ द्वारा या किसी दस्तावेज द्वारा साबित किया जा सकता है केवल दो ही तरीके किसी तथ्य को साबित करने के प्रतीत होते हैं एक है घटना स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों की गवाही द्वारा जिसे मौखिक साक्ष्य कहते हैं और दूसरा है इसी दस्तावेज द्वारा ऐसे दस्तावेज इंसान कहते हैं।

सामान्यता साक्षी अपने कथन मौखिक रूप से देते हैं और इसे मौखिक साक्ष्य कहते हैं मौखिक साक्ष्य साक्षियों का न्यायालय के समक्ष मौखिक कथन है जो साक्षी बोल नहीं सकता वह वाद के तथ्यों के बारे में अपना ज्ञान इशारों द्वारा या लिख कर बता सकता है दोनों परिस्थितियों में इसे मौखिक साक्ष्य कहते हैं।

क्वीन एंप्रेस बनाम अब्दुल्लाह के बाद में एक स्त्री जिसका गला इतना कटा हुआ था कि वह बोल नहीं पा रही थी उसने हाथ के इशारे से हमलाकारी का नाम बताया ऐसे मौखिक कथन माना गया।

धारा 59- मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना:-

दस्तावेजों इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखो की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तक मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे।

धारा 60- मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए (oral evidence must be direct)

मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वह कैसी भी हो प्रत्यक्ष ही होगा अर्थात

यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा,

यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना,

यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रीय द्वारा या उस रीति से किया है,

यदि वह किसी राय के या उन आधारों के जिन पर वह राय धारित है के बारे में हैं तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों पर धारण करता है,

परंतु विशेषज्ञों की रायें जो सामान्यता विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाने वाली पुस्तक में अभिव्यक्त है और वे आधार जिन पर ऐसी रायें धारित है यदि रचयिता मर गया है या वह मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या उसे इतने विलंब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता हो ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किए जा सकेंगे,

परंतु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा।

धारा 60 का उद्देश्य अनुश्रुत साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य की सीमा से अलग रखना है धारा 60 का उद्देश अनुश्रुत साक्ष्य को अपवर्जित करना है अनुश्रुत साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं है इसलिए अधिनियम के निर्माताओं ने कहा है कि मौखिक साक्ष्य उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसने तथ्य का अनुभव अपनी इंद्रियों अर्थात व्यक्तिगत जानकारी से किया है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा देखी गई अथवा अनुभव की गई वस्तु का कोई दूसरा व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता।

सर्वोत्कृष्ट साक्ष्य का नियम (rule of best evidence)-

1- मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए ।(धारा 60)
2- दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। (धारा 74)
3- संविदा की शर्तों को केवल दस्तावेज द्वारा ही साबित किया जा सकता है ।(धारा 91)

अनुश्रुत साक्ष्य की अग्राह्यता के आधार-:

अनुश्रुत साथ निम्नलिखित कारणों से अग्राह होते हैं-

1-यह शपथ पूर्वक नहीं दिया जाता है जो व्यक्ति किसी घटना के बारे में किसी से कहता है वह शपथ लेकर नहीं कहता अता उसमें सत्यता का अंश कम रहने की संभावना होती है।
2- इसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती है।
3- अधिकतर मामलों में यह अनुमान किया जा सकता है कि कुछ उत्तम साक्ष्य मिल सकते थे किंतु वे पेश नहीं किए गए हैं।
4- इसकी स्वीकृति से परीक्षण में देरी लगती है पहले उस व्यक्ति को बुलाना जिसने किसी से सुना और फिर उस व्यक्ति को बुलाना जिससे उसने सुना।
5- इसकी स्वीकृति से जालसाजी की संभावना बढ़ जाती है।
6- वह व्यक्तिगत जिम्मेदारी से संबंधित नहीं होता जिसके कारण गवाह मिथ्या बोल सकता है।

अनुश्रुत साक्ष्य को अपवर्जित करने का सिद्धांत कई अपवादों के अधीन है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अलग-अलग धाराओं में उपबंधित हैं जो निम्नलिखित है-

1-

स्वीकृति और संस्वीकृत-:

2-

धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत कथन-:

3-

पूर्व कार्रवाईयों में कथन (धारा 33) -:

4-

लोक दस्तावेजों में कथन(धारा 34,35) -:

5-

रेस जेस्टे (धारा 6) -:

6-

विशेषज्ञों की पुस्तकों में कथन (धारा 60 का परंतुक) -:

उपरोक्त वर्णित अपवादों के अंतर्गत क्योंकि साक्ष्य उस व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया जाता है जो घटना का स्वयं प्रत्यक्षदर्शी है फिर भी ऐसे साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ग्राहा माना गया है।

उपरोक्त अपवादों के आधार-:

1-साक्ष्य की आवश्यकता, क्योंकि जिन मामलों में उत्तम साक्ष्य नहीं मिल सकते हैं उनमें केवल इन्हीं साक्ष्यों को ग्राहा मान लिया जाता है ।

2- उसकी विश्वसनीयता पर परिस्थिति के अनुसार गारंटी अर्थात जिन परिस्थितियों में ऐसे कथन किए जाते हैं उनमें सत्यता की संभावनाएं अधिक रहती हैं ।

दस्तावेज साक्ष्य (documentary evidence)-:

दस्तावेज शब्द की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई है दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों अंकू या चिन्हों के साधन द्वारा या उसमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हों या उपयोग किया जा सके।

दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत (धारा 61)-:

दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी।

अता उपरोक्त धारा से स्पष्ट है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तुयें या तो प्राथमिक साक्ष्य से साबित की जा सकेंगी या द्वितीयक साक्ष्य से, जब कोई दस्तावेज प्राथमिक व द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है तो उसे धारा 67-73 में निर्धारित किए गए तरीकों से साबित किया जाना चाहिए।

प्राथमिक साक्ष्य (primary evidence)-: (धारा 62)

इसके अंतर्गत निम्नलिखित चार प्रकार की चीजें प्राथमिक स्वास्थ्य की परिभाषा में आती है-

1- जिस दस्तावेज का साक्ष्य दिया जाना है यदि वो स्वयं पेश किया जाए।

2- जहां कोई दस्तावेज कई एक मूल प्रतियों में बनाया गया है तो ऐसे दस्तावेज की प्रत्येक प्रति प्राथमिक साक्ष्य होगा।
3- जब कोई दस्तावेज प्रतिलेख के रूप में बनाया गया हो और एक प्रतिलेख पर एक पक्षकार ने और दूसरे प्रतिलेख पर दूसरे पक्षकार ने हस्ताक्षर किए हो तो एक प्रतिलेख उस पक्षकार के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य होगा जिसने उस पर हस्ताक्षर किए हो।
4- जब कोई दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो स्टेट में होता है तो प्रत्येक ऐसा दस्तावेज बाकी सब विषय वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होगा।

द्वितीयक साक्ष्य(secondary evidence)-: (धारा 63)

द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं-
1- एतस्मिनपश्चात अंतर्विष्ट उपबन्धो के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतियां
2- मूल से ऐसी यान्तिरक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतिलिपियां।
3- मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां।
4- उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख।
5- किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृतांत।

दृष्टांत-

क,
ख,
ग,
घ,

दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना (धारा 64)-:

धारा 65 में वर्णित अवस्थाओं के सिवाय दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होगी।

अर्थात जो कुछ दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध है उसे स्वता उस लेख द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए क्योंकि दस्तावेज अपनी अंतरवस्तुओं का स्वयं सबसे बड़ा साक्ष्य है परंतु इसके कुछ अपवाद है जो की धारा 65 में वर्णित है जिन अवस्थाओं में द्वितीयक साथ दिया जा सकता है।

वे अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा (धारा 65)-:

किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा-
(क)- जबकि यह दर्शित कर दिया जाए यह प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्यधीन है,
जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना इप्सित है अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है अथवा
जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है,
और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता है,

(ख)- जबकि मूल के अस्तित्व दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है,

(ग)- जबकि मूल नष्ट हो गया है या खो गया अथवा उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की स्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुद्भूत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता,

(घ)-जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता,

(ड.)- जब की धारा 74 के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज है,

(च)- जब मूल ऐसी दस्तावेज है कि जिसकी प्रमाणित प्रति का साथ दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है,

(छ)- जबकि मूल ऐसी अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिसकी न्यायालय में सुविधा पूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है,

अवस्थाओं (क), (ग) और (घ) में दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष ग्राहा है।

अवस्था (ख) में वह लिखित स्वीकृति ग्राहा है।

अवस्था (ड.) या (च) में दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राहा है किंतु अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीयक साथ ग्राहा नहीं है।

अवस्था (छ) में दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उनकी परीक्षा की है और जो ऐसी दस्तावेजों की परीक्षा करने में कुशल है।

आता स्पष्ट है कि धारा 64 निर्धारित करती है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित करने का केवल एक ही तरीका है वह यह है कि न्यायालय के समक्ष मूल दस्तावेज को पेश किया जाना चाहिए किंतु धारा 64 यह भी अपवाद के रूप में निर्धारित करती है कि धारा 65 में वर्णित मामलों में दस्तावेज की अंतर्वस्तु या द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जा सकता है। परंतु किसी भी द्वितीयक साक्ष्य को देने के पूर्व धारा 65 में निर्धारित की गई शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है अर्थात दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य तभी दिया जा सकता है जबकि इस धारा में जो विभिन्न परिस्थितियां दी गई हैं उनमें से कोई भी परिस्थिति वर्तमान हो।

यह आपत्ति की कोई द्वितीय के साथ ग्राहा नहीं है यथाशीघ्र प्रारंभिक स्तर पर की जानी चाहिए यदि प्रारंभ में कोई आपत्ति नहीं की जाती है और द्वितीयक साक्ष्य पेश कर दिया जाता है तो वह अभिलेख का भाग हो जाता है फिर यह आपत्ति की पक्षकार द्वितीयक साथ देने का हकदार नहीं है बाद में नहीं की जा सकती।

धारा 65-क. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान -:

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तुयें धारा 65 ख के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेंगी।

धारा 65 ख. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राहता-:   किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राहता के बारे में धारा 65 ख. में प्रावधान किया गया है अर्थात धारा 65 ख. में दी गई परिस्थितियों के अधीन ही इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को साक्ष्य में ग्राहा किया जाएगा।

धारा 66 पेश करने की सूचना के बारे में नियम-:

धारा 66 यह कहती है कि धारा 65 (क) के अधीन द्वितीयक साक्ष्य तभी दिया जा सकता है जबकि उस पक्षकार ने जो कि द्वितीयक साथ देना चाहता है दूसरे पक्षकार को या उसके अटार्नी को या उसके वकील को उस दस्तावेज को पेश करने की पूर्व नोटिस दे दी है।

धारा 66 में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं जबकि द्वितीयक साथ देने के पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है ये निम्नलिखित है-

1- जबकि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है

2- जबकि प्रति पक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की उससे अपेक्षा की जाएगी

3- जबकि यह प्रतीत होता है यह साबित किया जाता है की प्रति पक्षी ने मूल पर कब्जा कपाट या बल द्वारा अभी प्राप्त कर लिया है

4- जबकि मूल प्रति पक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में है

5- जबकि प्रतिपक्ष या उसके अभिकर्ता ने उसका खो जाना स्वीकार कर लिया है

6- जबकि दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय के आदेशिका की पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है।

Pankaj Katiyar
Assistant Professor
Avadh Law College
Barabanki